न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 14/2018

1 रामदेव पुत्र गोपी।
2 बजरंगलाल पुत्र रिछपाल।
3 रामोतार पुत्र रिछपाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र रिछपाल।
2 रूपनारायण पुत्र रिछपाल।
3 फूली देवी पुत्री रिछपाल।
4 मन्जू देवी पुत्री रिछपाल।
5 विमला देवी पुत्री रिछपाल।
6 छोटी पत्नी गणपत।
7 भागोती पुत्र गणपत।
8 धापू देवी पुत्री गणपत।
9 रतनी देवी पुत्री गणपत।
10 गीता देवी पुत्री गणपत।
11 पार्वती देवी पुत्री गणपत।
12 छोटी देवी पुत्री गणपत।
13 शिवचरण दत्तक पुत्र गणपत।
14 जुगलकिशोर पुत्र रिछपाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15 राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 जिला कलेक्टर झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा
नम्बर 111/2013 उनवानी रामदेव आदि बनाम
बाबूलाल आदि दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 111/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बागोरा के भूमि खसरा नम्बर 259 रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा व भूमि खसरा नम्बर 260 रकबा 48 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि थी। उक्त भूमि खसरा नम्बर 259 में 8 बीघा व खसरा नम्बर 260 में से 2 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गोपी काश्त करता था तथा उक्त 10 बीघा भूमि का टीनेन्ट था। जिस भूमि को गोपी काश्त करता था उसके नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 219 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453/220 रकबा 0.53 हैक्टेयर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 1405/212 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.83 हैक्टेयर बने है। उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में आनी चाहिए थी। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमियां गैर मु. पहाड़ दर्ज हो गई। इसलिए वाद घोषणार्थ पेश करना आवश्यक हुआ। पूर्वज गोपी की मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार भूमि काश्त करने लगे। जिनका अंकन गिरदावरियों में काश्त के रूप में अंकित है। इसलिए उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे व धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधाननुसार खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 73 दिनांक 14.06. 1974 को उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के आदेश से तहसीलदार उदयपुरवाटी ने रामदेव, रिछपाल गणपत पुत्र गोपी कुम्हार के नाम से तस्दीक किया है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2025 से 2029 में भी रामदेव, रिछपाल, गणपत पुत्र गोपी के नाम दर्ज हो गया। सेटलमेंट सन् 1988 में उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड होना चाहिए था क्योंकि सेंटलमेंट को कानूनी राजस्व रिकार्ड को बदलने का हक नहीं है। उक्त वर्णित भूमियों पर कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण का रहा है तथा इसमें पशुओं के बाड़े बने हुए है चारों तरफ मेड बनी हुई है। उपरोक्त भूमि बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने सन् 2000 में धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जो बाद जांच कार्यवाही खारिज की। अंत में निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि भूमि खसरा नम्बर 219,1453/220,1405/212 व 221 वाके ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का टीनेन्ट व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 13 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 को 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेश दिये जावें कि उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम करें। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जवाब देही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 बावजूद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

तामील सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार ने जवाब दावा पेश किया है कि ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.83 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़, खसरा नम्बर 1453/220 रकबा 0.54 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़, खसरा नम्बर 1405/212 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़, राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजकीय भूमि दर्ज होना स्वीकार है। शेष अंकित तथ्य वादीगण स्वंय सिद्व करें। वादीगण गैर मुमकिन पहाड़ राजकीय भूमि में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज संवत 2012 से पूर्व से विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2021 एवं 2028 से 2033 में उनकी काश्त दर्ज है। विवादित भूमि का नामान्तकरण भी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के आदेश से दिनांक 14.06.1974 को वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में तहसीलदार अथवा पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात बदलने का अधिकार नही है। वादीगण व प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही हुई थी जो खारिज की जा चुकी है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बागोरा के गत भूमि खसरा नम्बर 259 रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा व भूमि खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

260 रकबा 48 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियां रही है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 219,1453/220,1405/212,221 की भूमियां भी राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन पहाड़ ही दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त वर्णित भूमियों की किस्म गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ राजस्व भूमि दर्ज होने के कारण वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर